म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नि0/नाफेड/वि.अनु./574/3058 भोपाल,दिनांक 19/12/2019

प्रति,

शाखा प्रबंधक
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ मर्यादित (नाफेड),
तीसरा माला, आईडीए बिल्डिग,
13/14, जवाहर मार्ग, इंदौर–452007

विषयः–म0प्र0 कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने के संबधं मे।

संदर्भः–शाखा प्रबंधक, नाफेड का पत्र/मेल क्रमांक/आईएनडी/मण्डी लायसेंस/19–20 दिनांक 31.10.2019 एवं ई–मेल/पत्र दिनांक 18.11.2019

विषय संदर्भ अन्तर्गत Renewal of Single special Mandi License to NAFED-reg. के संबंध मे मेल प्राप्त हुआ है। जिसमे अवगत कराया गया है कि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एसएल/02/18 की अवधि दिनांक 05.12.2019 को समाप्त हो रही है। अतः उक्त अवधि को बढ़ाने का लेख किया गया है।

ईमेल/पत्र दिनांक 18.11.2019 मे उल्लेखित स्थिति पर विचारोपरांत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल/02/18 दिनांक 10.12.2018 की अवधि दिनांक 05.12.2019 से आगामी 4 वर्षो अर्थात दिनांक 05.12.2023 तक नवीनीकृत की जाती है।

संलग्नः–विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप–तीन

(अशोक कुमार वर्मा) 19/12/19
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नि0/नाफेड/वि.अनु./574/3059 भोपाल,दिनांक 19/12/2019

प्रतिलिपि :–

(1) संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति समस्त अधिसूचित कृषि उपज के लिए नवीनीकृत कर स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................ जिला.............................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति जो समस्त अधिसूचित कृषि उपज के लिए नवीनीकरण स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं क्रय केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

3. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड), तीसरा माला, आईडीए बिल्डिग, 13/14, जवाहर मार्ग, इंदौर–452007 को नवीनीकरण कर, स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई–अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

19/12

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप–तीन

परिशिष्ट–अ

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी 26, अरेरा हिल्स भोपाल

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति कमांक/एस.एल./02/18 दिनांक 19/12/2019

शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), थर्ड फ्लोर, आई.डी.ए. बिल्डिंग, 13/14, जवाहर मार्ग, इंदौर–452007 को, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 32–क के अधीन संलग्न सूची अनुसार मध्यप्रदेश के समस्त मंडी क्षेत्र, समस्त मंडी प्रांगण एवं उपमण्डी प्रांगण मे समस्त अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनांक 05.12.2019 तक विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृत की गई थी। जिसे दिनांक 05.12.2023 से आगामी 4 वर्षो अर्थात दिनांक 10.12.2023 तक नवीनीकृत की जाती है।

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित कय केन्द्रो के नाम/जिले के विवरण सहित गोदामो के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	समस्त कय केन्द्र के लिये नियम 6 1 के अधीन विहित निर्धारित प्रतिभूति की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समस्त अधिसूचित कृषि उपज	संलग्न सूची अनुसार अधिसूचित 257 मण्डी प्रांगण एवं 299 उपमण्डी प्रांगण			–	श्री अभिषेक कुमार शाखा प्रबंधक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), थर्ड फ्लोर, आई.डी.ए. बिल्डिंग, 13/14, जवाहर मार्ग, इंदौर–452007	राज्य सरकार के उपकम की भांति ही केन्द्र सरकार के उपकम के लिए एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो मे अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिए विशेष अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रतिभूति से मुक्त
						शाखा प्रबंधक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड),	उपरोक्तानुसार

1. उक्त क्रय केन्द्रों पर उत्पादकों से सीधे कृषि उपज क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक 05.12.2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।
3. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी :–

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना–पत्र के अनुसार समय–सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिकमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉं प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में कय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)